न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 828–तीन/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–2010 पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 42/2001–02 अपील

1– बलराम 2– बेद प्रकाश
पुत्रगण मुरारीलाल निवासी
ग्राम झुण्डपुरा तहसील मुरैना
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती सरोज पत्नि सियाराम
2– जनार्दन पुत्र सियाराम निवासीगण झुण्डपुरा
3– श्रीमती महेश्वरी पत्नि गोवर्धन
पुत्री सियाराम तीनों निवासी विनयनगर
सेक्टर–4, सी–19 कोटेश्वर रोड ग्वालियर
4– श्रीमती बृजेश पत्नि राकेश पुत्री सियाराम
निवासी जौरा जिला मुरैना
5– श्रीमती ओमवती पत्नि बंटी पुत्री सियाराम
निवासी देवी मंदिर के पास सवलगढ़
6– श्रीमती अनुसूईया पत्नि सत्येन्द्र करारे
पुत्री सियाराम निवासी पहतेवाली गली
सवलगढ़ जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6–10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/2001–02 अपील में पारित आदेश दि. 18–3–2010 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम झुण्डपुरा तहसील सवलगढ़ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2075 रकबा 01 वीघा 16 विसवा के गोविन्द प्रसाद पुत्र सोनाराम ब्राहमण भूमिस्वामी थे, जिनकी दिनांक 21.7.1995 को बेओलाद मृत्यु होने पर आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की नायव तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 4/94-95 अ 6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान सियाराम व्दारा अपंजीयत बसीयत प्रस्तुत कर स्वयं के नामांत्रण की मांग की। नायव तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16-3-1998 पारित किया तथा दोनों बसीयतों को संदिग्ध मानकर मृतक खातेदार के स्थान पर वारिसान के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 07/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.8.2000 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.3.98 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। तहसील न्यायालय में प्रकरण आने पर पूर्व प्रकरण को नवीन नंबर 8/2000-01 अ-6 पर दर्ज कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 6-8-2001 पारित किया गया तथा आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत पंजीकृत बसीयतनामा प्रमाणित पाते हुये नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 94/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-11-2001 से अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-8-2000 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के

समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 421/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 18-3-2010 से अपील अस्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ का आदेश दिनांक 27-11-2001 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-8-2000 के विरुद्व अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 94/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-11-2001 से अपील आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-8-2000 निरस्त किया गया है एंव प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु तथा बसीयतों की जांच हेतु प्रत्यावर्तित हुआ है और इसी आदेश के विरुद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई है। विचार योग्य है कि क्या प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्व द्वित्तीय अपील ग्राह्य है ? प्रत्यावर्तन आदेश अंतिम स्वरूप का आदेश नहीं है एंव ऐसे आदेश के विरुद्व द्वित्तीय अपील सुने जाने योग्य नहीं है जबकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने द्वित्तीय अपील क्रमांक 42/2001-02 में आदेश दि. 18.03.2010 पारित कर प्रकरण का निराकरण किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश प्रक्रियात्मक त्रृटि पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रथमवार नायव तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 4/94-95 अ 6 पंजीबद्व कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16-3-1998 पारित किया, जिसमें कमियॉ दर्शाते हुये अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 07/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 31.8.2000 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 16.3.98 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। नायव तहसीलदार ने पूर्व प्रकरण को नवीन नंबर 8/2000-01 अ-6 पर दर्ज कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की एंव बसीयतों की जांच कर आदेश दिनांक 6-8-2001 पारित किया गया तथा आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत पंजीकृत बसीयतनामा प्रमाणित पाते हुये नामान्तरण स्वीकार किया , फिर से ऐसी कौनसी परिस्थितियां उपजीं कि अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ को दुवारा अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 94/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 27-11-2001से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-8-2000 को निरस्त करना पड़ा एंव प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु तथा बसीयतों की जांच हेतु प्रत्यावर्तित करना पड़ा। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ ने जानबूझकर पंजीकृत बसीयतनामे के आधार पर नायव तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 6-8-2000 से विधिवत् किये गये नामान्तरण को निरस्त करने में त्रृटि की गई है। जब विचारण न्यायालय ने समस्त साक्ष्य पर एंव बुद्विमता का प्रयोग कर पूर्ण-परीक्षण उपरांत निर्णय लिया हो, तब अपीलीय न्यायालय व्दारा प्रकरण दूसरी-वार रिमाण्ड करना - पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाना है और अपीलीय न्यायालय का ऐसा रिमान्ड आर्डर विधि-सम्मत नहीं माना जावेगा। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ ने दुवारा

अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 94/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-11-2001 से नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-8-2000 निरस्त करने में त्रृटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/2001-02 अपील में आदेश दि. 18.3-2010 तथा अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 94/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-11-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः नायव तहसीलदार सवलगढ़ व्दारा प्रकरण 8/2000-01 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 6-8-2001 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर